Report upload in (WP)

687

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना (म.प्र.)

क्रमांक / बीएमडब्ल्यू / 2023 / 15452

गुना दिनांक 31/7/2023

प्रति,

माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार,
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेन्च, नई दिल्ली।

विषय :– जैब चिकित्सा अपशिष्ठ नियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं सुधार हेतु आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं एक्शन प्लान के संबंध मे जानकारी।

सन्दर्भ :– 1. माननीय एनजीटी प्रिसिंपल बैंच के प्रकरण क्र0 180 / 2021 मे पारित आदेश दिनांक 07.01.2022 के अनुपालन विषयक।

2. बोर्ड मुख्यालय भोपाल का पत्र क्र0 46 / जीचिअ / मप्रप्रनिबो / 2022 भोपाल दिनांक 18.04.2022।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित माननीय एनजीटी प्रिसीपल बैंच के प्रकरण क्र0 180 / 2021 मे पारित आदेश दिनांक 07 / 01 / 2022 के अनुपालन में चाही गयी जानकारी इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

19/07/23

(डॉ0 राजकुमार ऋषीश्वर)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला गुना (म0प्र0)

NATIONAL GREEN TRIBUNAL
Principal Bench, New Delhi
Receipt & Issue Branch
Received
16 AUG 2023
Dairy No. 3958
Signature.

Ld. R.G.
16/8/2023
con.(J)

581/23/JUDL
18/08/23

OA 180/2021
Report

18/8

254/KD/23

माननीय एनजीटी प्रिसीपल बैच के प्रकरण क्र. 180/2021 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2022 के अनुपालन की जानकारी
जिला –गुना

क्रमांक	कार्यवाही बिन्दू	वर्तमान स्थिति	स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कार्ययोजना
1	जैव चिकित्सा अपशिष्ठ के उपचार हेतु व्यवस्थायें	सभी एचसीएफ से निकलने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्ठ काडिस्पोजल सीबीडब्लूटीएफ के माध्यम से हो रहा है।	बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल हेतु अधिकृत संस्था जे.के. बायोंमेडीकल बेस्ट के माध्यम से प्रतिदिन की जा रही है।
2	क्लोरीनटेड प्लास्टिक बैग्स, ग्लोब्स और ब्लड बैग को फैसआउट करने के संबंध में।	क्लोरीनटेड प्लास्टिक बैग्स, ग्लोब्स और ब्लड बैग को फैसआउट हेतु कार्यवाही जारी है।	सीबीडब्लूटीएफ द्वारा भुगतान आधार पर सभी हेल्थ केयर फैसेलिटी को नॉनक्लोरीनेटेड बैग, ग्लब्स, ब्लड बैग्स आदि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौपी जायें तथा इसका कडाई से पालन सुनिश्चित कराया जाये।
3	सभी एचसीएफ एवं सीबीडब्लूटीएफ में जैव चिकित्सा अपशिष्ठ के ट्रेनिंग हेतु वारकोड सिस्टम की स्थिति	बारकोड सिस्टम वर्तमान में प्रभावी नही है।	सीबीडब्लूटीएफ एवं सभी हेल्थ केयर फैसीलिटी से प्रभावी तरीके से बारकोडिंग सिस्टम लागू कराने हेतु कार्यवाही की जावे। इस हेतु सीबीडब्लूटीएफ द्वारा सभी हेल्थ केयर फैसिलिटी को जागरूक किया जायें । इस हेतु प्रशिक्षित कर्मी तथा बारकोडिंग जनरेटर सभी को उपलब्ध करायें जायें।
4	फण्ड की उपलब्धता	शासकीय हेल्थ केयर फैसेलिटिस में ईटीपी की स्थापना जल एवं वायु सम्मति शुल्क, पर्याप्त मात्रा में इस कार्य हेतु प्रशिक्षित स्टाफ की कमी है।	जिला चिकित्सालय में EPT प्लॉट तथा प्रशिक्षित कर्मचारी है। CHC तथा PHC पर Liquid Disposal of Treatment किया जा रहा है।
5	दूषित जल उपचार की व्यवस्था	अधिकांश शासकीय हेल्थ केयर फैसेलिटिस में दूषित जल उपचार हेतु ETP की व्यवस्था नही है।	शासकीय हेल्थ केयर फैसेलिटिस के प्रभारी अधिकारी द्वारा शासन स्तर पर प्रस्तुत किया गया।
6	एचसीएफ से निकलने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्ठ की मासिक एवं वार्षिक जानकारी को स्वंय की वेबसाईट पर डिस्प्ले करने के संबंध में।	एचसीएफ से निकलने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्ठ की मासिक एवं वार्षिक जानकारी को स्वंय की वेबसाईट पर डिस्प्ले नही की जा रही है।	शासकीय हेल्थ केयर फैसेलिटिस के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्ताव बनाकर शासन स्तर पर स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहियें। इसके अलावा निजि क्षेत्र में संचालित हेल्थ केयर फैसेलिटिस सी.एम.एच.ओ. के द्वारा संबंधितों का सेमिनार आयोजित /मीटिंग कर/ नोटिस/ समझाईस देकर कार्यवाही सुनिश्चित करवाना।
7	शासकीय हेल्थ केयर फैसेलिटी जिनमें 10 विस्तर से अधिक है को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत वोर्ड की सम्मित।	शासकीय हेल्थ केयर फैसेलिटी जिनमें 10 विस्तर से अधिक है को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत वोर्ड की सम्मित प्राप्त नही है।	सीएमएचओ के अधीन जिला स्तर पर पर्यावरण सेल गठित की जाये। जिसमें तकनीकी स्टाफ को रखा जायें जो जिले के अंदर संचालित सभी शासकीय हेल्थ केयर फैसेलिटी में जैव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016 को लागू करा सकें तथा इस कार्य हेतु आने वाले आर्थिक व्यय की गणना करके फण्ड स्वीकृत कराया जायें ताकि सभी प्रकार की सम्मति, प्राधिकार एवं अन्य खर्चे पर्याप्त मात्रा मे फण्ड, उपकरण/सामग्री तथा प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध हो सके।

19/01/22

689

Directorate of Health Service - Equipment Status

Total Equipment	Total Functional	Operational %	In Complaint	Non Functional Repairable	Non Functional Non Repairable
81816	74997	91.67%	1612	1338	3869

- Doctor Availability
- Ct Scan
- Dialysis Sessions
- Nishulk Jaanch Yojana
- District Hospital
- Equipment Status

District	Equipment Operational %	Total Equipment	Functional	In Complaint	Non Functional Repairable	Non Functional Non Repairable
Vidisha	89.81%	1334	1198	60	7	69
Narsinghpur	89.74%	984	883	48	39	14
Sehore	89.48%	1426	1276	24	28	98
Bhopal	88.96%	1576	1402	11	24	139
Ratlam	88.78%	1720	1527	72	25	96
Raisen	88.14%	1745	1538	30	13	164
Harda	87.99%	641	564	23	8	46
Jabalpur	87.89%	1651	1451	82	44	74
Sagar	87.34%	2606	2276	37	88	205
Guna	87.07%	1462	1273	27	47	115
Hoshangabad	86.85%	1453	1262	42	41	108
Datia	86.61%	672	582	10	19	61
Shivpuri	86.37%	2149	1856	53	43	197
Bhind	85.82%	1382	1186	40	65	91
Indore	85.36%	1298	1108	41	56	93
Ashoknagar	84.72%	818	693	41	15	69
Dewas	84.05%	1141	959	11	11	160
Gwalior	83.95%	1265	1062	15	59	129
Morena	77.16%	1940	1497	78	45	320
Total	91.67%	81816	74997	1612	1338	3869

8	शासकीय हेल्थ केयर फैसेलिटी जिनमें जनरेटर लगे हुये है को परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं सीमापर संचलन) नियम 2016 के तहत प्राधिकार	शासकीय हेल्थ केयर फैसेलिटी जिनमें जनरेटर लगे हुये है को परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं सीमापर संचलन) नियम 2016 के तहत प्राधिकार प्राप्त नही किया है।	वोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करने हेतु एक्सजीएन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।
9	सीबीडब्लूटीएफ द्वारा स्वयं की वेवसाईट बनाना एवं उस पर जैव चिकित्सा अपशिष्ठ की जानकारी नियामानुसार डिस्प्ले करना।	सीबीडब्लूटीएफ द्वारा स्वयं की वेवसाईट बनाना एवं उस पर जैव चिकित्सा अपशिष्ठ की जानकारी नियामानुसार डिस्प्ले नही की जा रही है।	सीबीडब्लूटीएफ द्वारा स्वयं की वेवसाईट बनाना एवं उस पर जैव चिकित्सा अपशिष्ठ की जानकारी नियामानुसार डिस्प्ले हेतु सीएमएचओ के माध्यम से संबंधितों को नोटिस जारी किया जाना प्रस्तावित है।
10	जो वाहन जैव चिकित्सा अपशिष्ठ के परिवहन में लगे हुयें है उनमें जीपीएस सिस्टम लगाना।	वहन के ट्रेकिंग हेतु प्राधिकृत अधिकारियों आईडी पासवर्ड उपलब्ध नही करायें गये है।	सीबीडब्लूटीएफ के संचालन को सीएमएचओ के माध्यम से इस संबंध में अवगत कराया जायें।
11	जो कर्मचारी जैव चिकित्सा अपशिष्ठ की हेडलिंग करते है उनका टीकाकरण, प्रशिक्षण एवं वर्ष में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण करवाना।	जो कर्मचारी जैव चिकित्सा अपशिष्ठ की हेडलिंग करते है उनका टीकाकरण, प्रशिक्षण एवं वर्ष में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है।	सीएमएचओ के माध्यम से सभी को अवगत कराया जावें।
12	कर्मचारी जैव चिकित्सा अपशिष्ठ की हेडलिंग करते है उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट उपलब्ध कराना।	कर्मचारी जैव चिकित्सा अपशिष्ठ की हेडलिंग करते है उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट उपलब्ध कराना सुनिश्चित हों।	सभी हेल्थ केयर फैसिलिटी के संचालकों को सुनिश्चित कराना है।

19/07/23